संख्या-232जेएल/22-3-2023

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
लखीमपुर खीरी।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 01 अप्रैल, 2023*

विषय- केन्द्रीय कारागार, बरेली-1 के सिद्धदोष बंदी रामसागर पुत्र स्व0 रघुवीर, निवासी ग्राम-बाजूडीहा,
थाना- कोतवाली सदर, जनपद-लखीमपुर खीरी को पत्नी के उपचार हेतु स्वीकृत पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) में वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2937-38/प्रोबे0/बंदी/पैरोल/2022-23, दिनांक 29-03-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त केन्द्रीय कारागार, बरेली-1 के सिद्धदोष बंदी रामसागर पुत्र स्व0 रघुवीर, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी को शासनादेश संख्या-।/279998/2023, फाईल नं0-22-3016(099)/152/2022, दिनांक 23-02-2023 के क्रम में एक माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, राज्यमंत्री (स्व0प्र0), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
3- पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।